टी०ए० मिस केस सं०– 405/2020–21

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
03 03/2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **1.जान्डुका बानरा, 2.डुबराय बानरा** दोनों के पिता/पति– **स्व० पचाये बानरा**, ग्राम– **होरलोर**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **माटकोबेड़ा**, थाना न0– **78**, खाता न0– **59**, प्लॉट न0– **775**, रकवा– **1 एकड़ 50डी० 503 वर्गकड़ी** भूमि क्रेता **घनश्याम हेम्ब्रोम**, पिता/पति– **स्व० माझी हेम्ब्रम**, ग्राम– **माटकोबेड़ा**, थाना– **मुफ्फसिल** चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तांरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तुक (ए) के अन्तर्गत क्रेता इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, खूँटपानी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के परदादा के नाम पर हालसर्वे खतियान में दर्ज होकर है**। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, खूँटपानी का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक **97**, दिनांक **24.02.2021** के द्वारा प्राप्त है। बीमारी का ईलाज हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **घनश्याम हेम्ब्रम**, पिता/पति– **स्व० माझी हेम्ब्रम**, ग्राम– **माटकोबेड़ा**, थाना– **मुफ्फसिल**, के पास **4,20,000.00/–(चार लाख बीस हजार रूपये) मात्र**। में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एंव क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात भी **5.00 एकड़** भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित हैं। अतः अंचल अधिकारी, खूँटपानी एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विकेता **1. जान्डुका बानरा, 2. डुबराय बानरा** दोनों के पिता/पति– **स्व० पचाये बानरा**, ग्राम– **होरलोर**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **माटकोबेड़ा**, थाना नं०–**78**, खाता नं०–**59**, प्लॉट नं०– **775**, रकवा– **1 एकड़ 50डी० 503 वर्गकड़ी**,भूमि क्रेता **घनश्याम हेम्ब्रोम**, पिता/पति– **स्व० माझी हेम्ब्रोम**, ग्राम– **माटकोबेड़ा**, थाना– **मुफ्फसिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तुक (ए)के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की.......अनुमति.......दी जाती है। लेखापित। 3/3 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 03/03/2021 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

RR Gope

Scanned with CamScanner